भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 227
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता

227 श्री मनोज कुमार झाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के लिए 31 जेल होने के बावजूद ऐसी जेलों में केवल 18 प्रतिशत महिला कैदी ही बंद हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने जेलों में बंद महिला कैदियों, विशेषकर उन महिलाओं कैदियों जो महिला जेलों में बंद नहीं हैं, के बीच मासिक धर्म समता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार सम्बंधित आंकड़ों को संकलित करता है तथा इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में 23772 महिला कैदी बंद थीं। इनमें से 4240 महिला कैदी 'विशिष्ट' महिला जेलों में बंद थीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत 'कारागार'/'उनमें बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। इसलिए कारागारों और कैदियों के प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी

विशिष्ट रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है, जो प्रशासनिक जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर महिला कारागार स्थापित करने और उनमें कैदियों को रखने और उनके कल्याण के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने में सक्षम हैं। वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में "महिला कैदियों" पर एक विशिष्ट अध्याय है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक महिला जेल की स्थापना की जाए। मैनुअल में प्रावधान है कि जहां महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट जेल उपलब्ध नहीं है, वहां महिला कैदियों को रखने के लिए जिला अथवा केंद्रीय कारागार के भीतर अलग परिक्षेत्र की स्थापना की जा सकती है।

आदर्श कारागार मैनुअल में महिला कैदियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि महिला कैदियों को स्टेरलाइज्ड सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने कारागारों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए हैं।

****